पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार सुबह मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार, पैरों में लगी गोली

छह साल की बच्ची की दुष्कर्म कर हत्या, आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

शर्मनाक

मन्सूरपुर, संवाददाता। मन्सूरपुर थाना क्षेत्र में बेगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आरोपी ने छह साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आरोपी बच्ची के शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया। गुरुवार की रात्रि में मामले की सूचना पर पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस ने शुक्रवार सुबह आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वह पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी मूल रूप से आसाम का रहने वाला है। पीड़ित परिवार भी आसाम का रहने वाला है। वह फैक्ट्री में मजदूरी करता है।

आसाम के गांव बेरगाजली जिला उदलगिरी निवासी एक व्यक्ति अपनी पत्नी व अपनी छह वर्ष की बेटी के साथ बेगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बालाजी क्रिस्टल फैक्ट्री में मजदूरी करता है। फैक्ट्री के ठीक सामने बाहर से काम करने आए मजदूरों के लिए लेबर रूम बना रखे हैं। गुरुवार को दंपति अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर फैक्ट्री में मजदूरी करने गए हुए थे। शाम को महिला जब मजदूरी करके अपने रूम पर वापस आई तो उसे अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी पड़ोसियों ने बताया उसकी बेटी को पड़ोस में रहने वाला मानवीर उर्फ इमानविल उर्फ सैमुअल पुत्र आदम के संगमा निवासी गांव कटहल गुडी जिला नगांव आसाम बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ रूम में ले गया था। आरोपी के रूम पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों के साथ मिलकर ताला तोड़ा। कमरे में कंबल में लिपटी हुई खून से लथपथ नग्न अवस्था में बच्ची मृत पड़ी थी। सूचना पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सीओ खतौली रामाशीष यादव ने सुबह बेगराजपुर के जंगल में आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

मंसूरपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल आरोपी।

थाना क्षेत्र के बेगराजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में वह घर जहां बच्ची के साथ घटना हुई।

दस दिन के भीतर भेजी जाएगी चार्जशीट

थाना प्रभारी मन्सूरपुर उमेश रोरिया का कहना कि आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य संकलन कर दस दिन के भीतर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। पुलिस कोर्ट से प्रार्थना करेगी कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सजा हो सके। फिल्ड यूनिट ने मौके से वह कपड़ा भी बरामद कर लिया है जिससे बच्ची का मुंह दबाया गया था। इसके अलावा अन्य कई साक्ष्य मौके से एकत्रित किए गए हैं।

दम घुटने से गई जान

मुजफ्फरनगर। छह साल की मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने दरिंदगी की। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने बच्ची को कमरे में लेकर उसका कपड़े से मुंह दबा दिया और मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। दम घुटने से मासूम बच्ची की मौत हुई।

डीएन मैच के साथ कराई जाएगी शिनाख्त परेड

पुलिस ने बताया कि मौके से आरोपी के बाल व अन्य साक्ष्य मिले हैं। वहीं बच्ची के शरीर पर कई जगह खरोज के निशान भी मिले हैं। आरोपी के नाखूनों से बच्ची खाल के सैंपल भी लिए जाएंगे। आरोपी को डीएनए मैच कराया जाएगा। वहीं आरोपी की जिला कारागार में शिनाख्त परेड भी करायी ताकि इस घिनौनी हरकत से आरोपी को सजा हो सके।

छात्रा से दुष्कर्म मामले में दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

- केस दर्ज के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई

खतौली, संवाददाता। कोतवाली पुलिस ने ग्यारवीं की छात्रा से जबरन दुष्कर्म मामले में दो लोगों पर केस दर्ज किया है। केस दर्ज के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गांव रसूलपुर कैलोरा के मजरा रामनगर निवासी एक व्यक्ति ने गुरुवार को कोतवाली पहुंचकर बताया था कि उसकी पुत्री ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा है।

स्कूल छोड़ने के लिए सड़क पर आया था इसी दौरान दो युवक बाइक लेकर आए और पुत्री को स्कूल छोड़ने की बात कहते हुए बैठा लिया। आरोप है कि दोनों ने पुत्री को धमकी देकर जबरदस्ती बारी-बारी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

दी गई तहरीर पर पुलिस ने गीता पुरी भूड निवासी मनु और ललित के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। केस दर्ज के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पूर्व विधायक की गाड़ी के हमलावर की जमानत खारिज

कोर्ट कार्यवाही

- 14 अगस्त 2021 को सिसौली में एक कार्यक्रम के दौरान की घटना
- दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे, पुलिस ने आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेजा था

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक की गाड़ी में तोड़फोड़ व काला तेल फेंकने वाले आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है।

डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि 14 अगस्त 2021 को थाना भौराकलां क्षेत्र के सिसौली में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक की कार पर हमला कर दिया था।

आरोपियों ने तोड़फोड़ करते पथराव भी किया था। जिसमे उनके दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे जबकि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गयी थी। पुलिस ने मामले में आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आरोपी की जमानत के लिए पोक्सो कोर्ट 2 अंजनी कुमार की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

शाहनवाज राणा की जमानत खारिज

- थाना सिविल लाइन में जीएसटी चोरी का मामला कराया था दर्ज
- जमानत अर्जी के लिए हाईकोर्ट में की जाएगी अपील दायर

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। पूर्व विधायक शाहनवाज राना की जमानत अर्जी को एडीजे प्रथम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पूर्व विधायक जीएसटी चोरी के मामले में जिला कारागार में बंद है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात जमानत को खारिज कर दिया है। अब जमानत अर्जी के लिए बचाव पक्ष हाईकोर्ट पहुंचेगा।

गत पांच दिसम्बर को पूर्व सांसद कादिर राणा की फैक्ट्री में सैंट्रल जीएसटी टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान टीम पर हमला कर गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गयी थी। इस मामले में थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, सद्दाम राणा व पूर्व सांसद की बेटियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में सभी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन थाना सिविल लाइन में दर्ज जीएसटी चोरी के मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राणा को आरोपी बनाया गया था। शुक्रवार को जीएसटी चोरी के मामले में पूर्व विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई एडीजे प्रथम गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अभियोजन की तरफ से रखे गए तर्क सुनने के बाद पूर्व विधायक की जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट में कहा गया है कि कम्पनी बनाकर बैलेंस सीट के जरिए फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं पूर्व विधायक को बड़ा अपराधिक रिकार्ड भी है। इसी आधार जमानत देना पर्याप्त आधार नहीं है।

अवैध ई-रिक्शाओं पर होगी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। शहर के अंदर चल रही अवैध ई रिक्शाओं के खिलाफ डीएम ने परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए है। उन्होंने ई रिक्शा की फिटनेश और लाइसेंस चैक करने के भी निर्देश दिए है। यदि कोई नाबालिग ई रिक्शा चलाते हुए पकडा जाता है तो कडी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

मुजफ्फरनगर में सड़क सुरक्षा को लेकर जूम एप पर बैठक में उपस्थित अधिकारी।

शुक्रवार को जूम ऐप के माध्यम से डीएम उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। बैठक में 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने निर्देश दिए गए है। डीएम द्वारा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को एक्शन प्लान तैयार कर समस्त स्टेक होल्डर विभागों / कार्यदायी संस्थाओं को अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं शहर के अन्दर अवैध रूप से चल रही ई-रिक्शा से होने वाली भीड के बारे में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी व ट्रैफिक पुलिस के साथ विचार विमर्श करते हुए ई-रिक्शा से होने वाली भीड को कम करने हेतु निर्देशित किया गया।

आश्वासन पर भाकियू ने धरना समाप्त किया

मांग

छपार, संवाददाता। छपार क्षेत्र के गांव बिजोपुरा में जैई शैलेंद्र कुमार के साथ मारपीट को लेकर हुए विवाद पर भारतीय किसान यूनियन का धरना बिजोपुरा के बिजली घर पर गुरुवार से लगातार चल रहा है।

शुक्रवार को एसडीएम सदर निकिता शर्मा व सदर एसडीओ, सीओ सदर राजू कुमार शाव व छपार कोतवाल विकास यादव धरने पर पहुंचे। एसडीएम निकिता शर्मा ने यूनियन की समस्या सुनकर सभी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। जो जैई के द्वारा गांव के बिजली मीटर उखाड़े गए थे, वे दोबारा लगाए जाएंगे और ग्रामीणों द्वारा बनाई गई वीडियो देखकर जैई के खिलाफ भी मुकदमा करने का आश्वासन दिया, जिस पर किसान यूनियन के सदस्यों ने धरना समाप्त कर दिया।

इस दौरान गुलशन सदर ब्लॉक अध्यक्ष, विनय प्रधान, दीपक, राजवीर सिंह नेदान प्रधान, प्रदीप चेयरमैन, सतबीर प्रधान, आजाद सिंह, सतबीर लाला, अंकित राणा युवा जिला अध्यक्ष आदि शामिल रहे।

छपार में धरने पर बैठे भाकियू कार्यकर्ता। • हिन्दुस्तान

बिजली की समस्याओं को लेकर भाकियू का धरना

खतौली। बिजली की अनेकों समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में रतनपुरी थाना क्षेत्र की बिजली घर पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन भी दिया है। भाकियू-अ के ब्लॉक अध्यक्ष पवित्र अहलावत के नेतृत्व में रतनपुरी के बिजली घर पर धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों के सामने अनेकों समस्याएं रखी।

युवती का फोटो वायरल होने के बाद से थी रंजिश

■ **पोस्टमार्टम में सनी के सिर पर चोट लगने से मौत होना बताया गया**

खतौली, संवाददाता। पलडी में सनी हत्याकांड में पुलिस की जांच में युवती का फोटो वायरल करने के बाद से रंजिश होना सामने आ रहा है जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, हालकि हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों को पुलिस अभी तक नहीं पकड पाई है। पोस्टमार्टम में सनी के सिर पर चोट लगने से मौत होना बताया गया है। पुलिस ने प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों के लिए टीमें लगाई है जो लगातार दबिश दे रही है।

चार दिन पूर्व पलडी गांव में 20 वर्षीय सनी की लाठी-डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद परिजनों की दी गई तहरीर पर पुलिस ने सात लोगों पर केस दर्ज किया जिसमे से पुलिस ने अभी तक नामजद ग्राम प्रधान रमेश को हिरासत में लिया है। आरोपियों को पकडने के साथ-साथ पुलिस सनी की हत्या के कारणों की जांच पडताल भी कर रही है।

शुक्रवार को पुलिस ने बताया कि वैसे तो कई बिन्दुओं पर जांच चल रही है लेकिन जांच में सबसे अहम गांव निवासी एक युवती का फोटो वायरल करने के बाद से रंजिश होना सामने आ रहा है।

बताया गया कि फोटो वायरल की जानकारी होने पर कई बार विवाद भी हुआ जो गांव वालों को पता भी नहीं चला।

सिपाही के आश्रितों को प्रतिकर के आदेश

गाजियाबाद। पीआरवी पर तैनात सिपाही की मृत्यु पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 56.51 लाख आश्रितों को प्रतिकर देने के आदेश दिए हैं। सिपाही की मृत्यु मुजफ्फरनगर में वर्ष 2019 में हुई थी। अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक 11 नवंबर 2019 को मुजफ्फरनगर में पीआरवी पर तैनात सिपाही सुरेशचंद सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। पीआरवी चालक सुनील और सिपाही सुरेशचंद घायल हो गए थे। मेरठ के न्यूटिमा अस्पताल में सुरेशचंद की 18 नवंबर 2019 को मृत्यु हो गई थी। मृतक की पत्नी विमला ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गाजियाबाद में क्लेम दाखिल किया था।

कारखाना संचालकों पर धोखाधड़ी का आरोप

भोपा। थाना क्षेत्र के गांव बेहड़ा थू निवासी गुलफाम ने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी दो व्यक्तियों ने ट्रैक सूट जैकिट आदि बनाने का कारखाना खोल रखा था।

पीड़ित ने बताया कि उसने कारखाना संचालकों को कपड़ा खरीदने के नाम पर एक लाख रुपए ऑन लाइन दिए थे जिसके बाद आरोपियों ने उसे लगभग एक सप्ताह बाद कपड़ा देने का वादा किया था। आरोपी बीते एक माह से उसका फोन रिसीव नहीं कर रहे है और कपड़ा देने की बजाय अपना कारखाना बंद कर फरार हो गए है।

गोमांस के साथ दो महिलाओं समेत तीन गिरफ्तार

बुढ़ाना। कस्बे में पुलिस ने एक मकान पर छापा मारकर मौके से गौमांस के साथ दो महिलाओं समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों का चालान कर दिया।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्र ने बताया कि कस्बे के मोहल्ला नई बस्ती के मकान में गौकशी की सूचना मिली थी। पुलिस ने टीम बनाकर उस मकान पर छापेमारी की। मकान के अंदर दो पुरुष व दो महिलाएं गौमांस को पालीथिन में पैक कर रहे थे। पुलिस को देखते ही एक गोकश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से साजिद कुरैशी पुत्र युसुफ निवासी ग्राम फौलाद नगर थाना दोघट जिला बागपत, रुखसार पत्नि शाहरुख उर्फ भूरा व शाहीना पत्नि फिरोज निवासी गांव नगला थाना रतनपुरी को गिरफ्तार कर लिया।

नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल की धमकी

■ **कमरे में बंधक बनाकर दिया घटना को अंजाम, केस दर्ज**

खतौली, संवाददाता। रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिक लड़की से पहले दुष्कर्म किया गया उसके बाद उसकी वीडियो बनाई गई। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की दी गई तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है।

गांव कल्याणपुर निवासी 16 साल की एक नाबालिक लड़की ने बताया कि चार दिन पहले सुबह के समय घर से गोबर डालने के लिए जा रही थी इस दौरान रास्ते में गांव निवासी एक युवक ने पकड़ लिया और जबरन मुंह दबाकर जबरदस्ती अपने घर के अंदर ले गया। जान से मारने की धमकी देकर आरोपी ने दुष्कर्म किया। परिजनों को शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने करीब चार घंटे तक कमरे में बंद रखा। बताया कि इसी आरोपी ने करीब ढाई साल पहले दुष्कर्म किया था जिसकी इसने वीडियो भी बना ली थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी विदेश चला गया था। करीब तीन महीने पहले आरोपी घर वापस आया तभी से वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पीड़िता ने आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की। दी गई तहरीर पर पुलिस ने कल्याणपुर गांव निवासी सनोवर के विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया।

सख्ती : 29 गिरोह के 98 बदमाशों पर गैंगस्टर लगाई

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। वर्ष 2025 में नए साल पर पुलिस ने 29 गिरोह के 98 बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। सबसे अधिक बुढ़ाना थाने की पुलिस ने 26 बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की है।

नए साल पर देहात सर्किल के थानों की पुलिस ने गिरोह को चिन्हित कर कार्रवाई शुरु की है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि देहात क्षेत्र के 11 थानों की पुलिस ने 29 गिरोहों को चिन्हित किया।

इन गिरोह में शामिल 98 बदमाशों पर गैंगस्टर का रिपोर्ट दर्ज की गयी है। जानसठ थाना पुलिस ने पांच गिरोह के 17, मीरापुर थाना पुलिस वे एक गिरोह के चार, रामराज थाना पुलिस एक गिरोह के दो, भोपा पुलिस ने एक गिरोह के पांच, ककरौली थाना पुलिस ने एक गिरोह के तीन, बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने 9 गिरोह के 26 बदमाशों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है।

इसी तरह शाहपुर थाने की पुलिस ने दो गिरोह के छह, रतनपुरी पुलिस ने तीन गिरोह के 13, फुगाना थाना पुलिस ने एक गिरोह के चार, भौराकलां पुलिस ने एक गिरोह के दो व तितावी थाना पुलिस ने चार गिरोह के 16 बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है।

मिलावटी शराब मामले में तीन आरोपियों को सजा

मुजफ्फरनगर। मिलावटी शराब बनाने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को छह-छह साल की सजा व अर्थदंड दंडित किया है। छपार पुलिस ने तीनो आरोपियों को नौ साल पूर्व मिलावटी शराब के साथ गिरफ्तार किया था।

डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 23 अप्रैल 2015को छपार पुलिस ने सूचना के आधार पर गांव दतियाना के जंगल से तीन आरोपी दीपक उर्फ जीत, अर्जुन व सोनू निवासीगण दतियाना थाना छपार को मिलावटी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीनों को जेल भेजते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश कमलापति की कोर्ट में हुई। अभियोजन की तरफ से कोर्ट में चार गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने तीनों आरोपियों को छह-छह साल का कारावास व प्रत्येक पर 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

पीआरडी जवान ड्यूटी कटने पर डीएम से मिलने पहुंचे

मुजफ्फरनगर। जिला युवा कल्याण विभाग की व्यवस्था से नाराज कुछ पीआरडी जवानों ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए है। ड्यूटी कटने पर 50 से अधिक पीआरडी जवान डीएम आफिस पर पहुंचे और विभिन्न बिन्दुओं पर शिकायत की है।

पीआरडी जवानों ने बताया कि पैसे लेकर ड्यूटी लगाई जा रही है। जो पैसे नहीं दे रहा है उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। शुक्रवार को कुछ पीआरडी जवान डीएम आफिस पर पहुंचे। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए बताया कि इस बार भी उनकी ड्यूटी काट दी गई है। जबकि नगर कोतवाली के द्वारा जिला युवा कल्याण विभाग में पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें कहा गया है कि महाकुम्भ में होमगार्डो की ड्यूटी लगाई गई है।

जेई से मारपीट में एसई आफिस पर प्रदर्शन

मुजफ्फरनगर, संवाददाता। ओटीएस योजना के तहत बडे बकायेदारों के कनेक्शन काटने पर बीजोपुरा बिजलीघर के जेई शैलेंद्र सिंह पर कुछ लोगों ने लाठी-डंडे और बैल्टों से हमला कर दिया। जेई को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जेई की हालत को खराब बताते हुए उन्हें उपचार के लिए मेरठ रैफर कर दिया गया। उधर घटना के विरोध में सभी अवर अभियंताओं ने लक्ष्मण विहार में स्थित एसई कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार कराने की मांग की।

मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को बिजोपुरा बिजली के जेई घायल अवस्था में उपचार कराते हुए।

जनपद में बडे बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनके कनेक्शन काटे जा रहे है। जिसे लेकर उक्त लोगों में रोष बना हुआ है। जेई शैलेंद्र सिंह बीजोपुरा बिजलीघर पर कुछ कार्य करा रहे थे। इस बीच गांव के कुछ दबंग व्यक्ति अराजक तत्वों के साथ बिजलीघर पर पहुंचे। उन्होंने जेई शैलेंद्र सिंह के साथ बेल्ट लाठी, डंडों से जानलेवा हमला कर अधमरा कर दिया गया। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डाक्टरों ने उनकी हालत को खराब बताते हुए मेरठ रैफर कर दिया। उधर इस मामले की रिपोर्ट थाना छपार में दर्ज कराई गई है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है। जिसके विरोध में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इं. संगठन के जनपद अध्यक्ष बीबी गुप्ता की अध्यक्षता में जनपद के समस्त अवर अभियंता द्वारा विद्युत वितरण मंडल -प्रथम मुजफ्फरनगर के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई।

- आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अवर अभियंताओं ने की नारेबाजी
- बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने को हुआ जेई पर जानलेवा हमला

जबतक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगे तब तक किसी बडे बकायेदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान सचिव नरेंद्र कुमार, वित्त सचिव यूसी वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीआर शर्मा ,अविनाश पांडे कपिल देव, विजय कुशवाहा आदि मौजूद रहे।

दुष्कर्म के बाद बालिका की निर्मम हत्या, आरोपित मुठभेड़ में घायल

संसू,जागरण● मंसूरपुर (मुजफ्फरनगर) : एक युवक छह वर्षीय बालिका को बिस्कुट दिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया। वहां दुष्कर्म के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर कमरे पर ताला लगा फरार हो गया। बाद में पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। उसके पैरों में गोली लगी है।

बालिका से दुष्कर्म व हत्या का आरोपित मानवीर ● सौ. पुलिस

बालिका के माता व पिता गए थे काम पर, बहाने से ले गया था कमरे पर, मुठभेड़ में दोनों पैर में लगी गोली

असम के जनपद उदलगिरि निवासी व्यक्ति परिवार के साथ बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रीबालाजी क्रिस्टल फैक्ट्री में मजदूरी करता है। फैक्ट्री के सामने मजदूरों के लिए बनी कालोनी में पांच माह से रह रहा है। गुरुवार सुबह दंपती फैक्ट्री में मजदूरी करने चला गया। कमरे पर उनकी इकलौती छह वर्षीय बेटी थी। शाम सात बजे कमरे पर आई मां को बालिका नहीं मिली। उसने आसपास तलाश की तो लोगों ने बताया कि मानवीर उर्फ इमानविल उर्फ सैमुअल निवासी नगांव कटहल जनपद कटहल गुड़ी असम बेटी को बिस्किट दिलाने के बहाने कमरे में ले गया था। महिला लोगों के साथ उसके कमरे पर पहुंची तो ताला लगा था। ताला तोड़कर अंदर पहुंचे तो बालिका कंबल में लिपटी हुई खून से लथपथ मृत पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। शुक्रवार सुबह करीब सवा सात बजे हाईवे के निकट पुलिस को देखकर आरोपित मानवीर ईख के खेत में घुस गया। पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया। सीओ रामाशीष यादव ने बताया कि आरोपित के पास ने तमंचा बरामद हुआ। दोपहर बाद कोर्ट में पेशकर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मानवीर भी उसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था जिसमें बालिका के माता-पिता करते हैं। उसी कालोनी में रहता है। गुरुवार को उसकी नाइट शिफ्ट थी।

गोकशी करते दो महिलाओं समेत तीन आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण●, बुढ़ाना : गोकशी की सूचना पर पुलिस ने मकान पर छापा मार दो महिलाओं समेत तीन आरोपित पकड़े।

इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्र ने बताया कि नई बस्ती के मकान में गोकशी की सूचना मिली थी। पुलिस टीम बनाकर मकान पर छापा मारा गया। मकान के अंदर दो पुरुष व दो महिलाएं गोमांस को पालीथिन में पैक कर रहे थे। पुलिस को देखते ही आरोपित मौके से भागने लगे। पुलिस ने एक पुरुष व दो महिलाओं को मौके से पकड़ लिया, जबकि एक आरोपित मकान की सीढ़ियों से होता हुआ छत के रास्ते भाग निकला। पकड़े गए आरोपित साजिद कुरैशी पुत्र युसुफ निवासी ग्राम फौलाद नगर थाना दोघट जिला बागपत, रुखसार पत्नी शाहरुख उर्फ भूरा निवासी गांव नगला थाना रतनपुरी और शाहीना कुरैशी पत्नी फिरोज कुरैशी निवासी नगला थाना रतनपुरी के हैं। आरोपित कस्बे के नई बस्ती में सलीम के मकान को किराए पर लेकर गोकशी कर रहे थे। मौके से 16 किलो गोमांस, कुल्हाडी, दो छुरे और अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

विधायक समेत 11 आरोपितों ने दिया हाजिरी माफी को प्रार्थना पत्र

चार आरोपित कोर्ट में पेश हुए, 18 जनवरी को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : हंगामा व जाम लगाने के मुकदमे में रालोद विधायक मिथलेश पाल समेत 11 आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया। वहीं, चार आरोपित कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने हाजिरी माफी को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है।

25 फरवरी 2019 को जीआइसी मैदान धनगर समाज के लोग अनुसूचित वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे। यहां प्रदर्शन करने के बाद लोगों ने सरकुलर रोड, महावीर चौक, प्रकाश चौक पर जाम लगाने के बाद कलक्ट्रेट में हंगामा किया था। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें मीरापुर से रालोद विधायक मिथलेश पाल, अमरनाथ पाल, मांगेराम, पुष्पांकर पाल समेत 15 लोगों को आरोपित बनाया गया था। सभी के खिलाफ पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता किरण पाल ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को इस मामले में चार आरोपित श्रीपाल, सुरेशपाल, बबलू पाल व विनय पाल कोर्ट में पेश हुए है।

रालोद विधायक मिथलेश पाल समेत 11 आरोपितों की तरफ से कोर्ट में हाजिरी माफी दी गई थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 18 जनवरी की तिथि नियत की है। बताया, सभी आरोपितों पर आरोप तय हो चुके हैं।

पूर्व विधायक शाहनवाज की जमानत खारिज

- पर्याप्त आधार नहीं होने पर कोर्ट ने बहस के बाद खारिज की
- फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी चोरी के मुकदमे में आरोपित हैं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : पूर्व विधायक शाहनवाज राना की जमानत अर्जी को एडीजे प्रथम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पूर्व विधायक जीएसटी चोरी के मुकदमे में जेल में बंद हैं।

बता दें कि गत 5 दिसंबर को पूर्व सांसद कादिर राना की फैक्ट्री में डीजीजीआइ की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। इस दौरान टीम पर हमला किया गया था और टीम में शामिल महिला अधिकारी से अभद्रता भी की गई थी। टीम में शामिल अधिकारी की तहरीर पर सिविल लाइंस थाना पुलिस ने उसी दिन पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राना व पूर्व सांसद की दो बेटियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मुकदमे में सभी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन थाना सिविल लाइंस में ही दर्ज फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी चोरी के मुकदमे में भी पूर्व विधायक शाहनवाज राना को आरोपित बनाया गया है। इसी मामले में पूर्व विधायक शाहनवाज राना जेल में बंद हैं।

शुक्रवार को जीएसटी चोरी के मुकदमे में पूर्व विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई एडीजे प्रथम गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अभियोजन की तरफ से रखे गए तर्क सुनने के बाद पूर्व विधायक शाहनवाज राना की जमानत को खारिज कर दिया। एडीजीसी आशीष त्यागी व अरुण शर्मा ने जमानत याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कोर्ट में पूर्व विधायक के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी भी दी थी और बताया कि फर्जी कंपनी बनाकर बैलेंस सीट के जरिए 27 करोड़ का फर्जीबाड़ा किया गया है।

इस दौरान एडीजीसी आशीष त्यागी ने तर्क दिया कि इस मामले में आरोपित को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में एएसपी एवं सीओ सिटी व्योम बिंदल, सिविल लाइंस इंस्पेक्टर आशुतोष कुमार सिंह व विवेचक एसएसआइ केपी सिंह भी मौजूद रहे। अब बचाव पक्ष जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा।

एक नजर में

एसपी सिटी ने कसे अधीनस्थों के पेच

छपार : एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने पुलिसकर्मियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक कर लंबित विवेचना का शीघ्र निस्तारण करने के साथ ही खनन, वन व भूमाफिया को चिह्नित कर कार्रवाई का निर्देश दिया।

शुक्रवार शाम को एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत थाना छपार पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। एसपी सिटी ने लंबित विवेचनाओं, महिला संबंधित अपराध, प्रार्थना पत्रों, वांछित व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विषय में जानकारी ली। क्षेत्र में मादक पदार्थों, अवैध शराब, जुआ, सट्टा की पूर्णतः रोकथाम करने व हि आम जनता से शालीनतापूर्वक व्यवहार करने, महिला संबंधित अपराधों की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई व क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए। गैंगस्टर अधिनियम के आरोपितों के धारा 14(1) के तहत संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। सीओ सदर राजू कुमार साव, इंस्पेक्टर विकास यादव, उपनिरीक्षक सत्यप्रकाश मौजूद रहे।

मिलावटी शराब बनाने में तीन को छह साल की सजा

मुजफ्फरनगर : मिलावटी शराब बनाने के मामले में न्यायाधीश ने एक ही गांव के तीन लोगों को छह साल का कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। नौ साल पहले तीनों को छपार थाना पुलिस ने मिलावटी शराब बनाते हुए पकड़ा था। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 23 अप्रैल 2015 को छपार थाने में तैनात एसआइ संतोष कुमार को सूचना मिली थी कि दत्तियाना गांव के जंगल में तीन लोगों मिलावटी शराब बना रहे हैं। पुलिस ने दबिश देकर वहां से दीपक उर्फ जीत पुत्र राजेंद्र सिंह, अर्जुन पुत्र आदेश व सोनू पुत्र मनोज निवासी दत्तियाना गांव को गिरफ्तार किया था और भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद की थी। जासं

98 बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई

मुजफ्फरनगर : पुलिस ने 29 गिरोह के 98 बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। सबसे ज्यादा बुढ़ाना थाने की पुलिस ने 26 बदमाशों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि देहात क्षेत्र के 11 थानों की पुलिस ने 29 गिरोहों को पकड़ा था। इन गिरोह में शामिल 98 बदमाशों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। जानसठ थाना पुलिस ने पांच गिरोह के 17, मीरापुर थाना पुलिस ने एक गिरोह के चार, रामराज थाना पुलिस ने एक गिरोह के दो, भोपा पुलिस ने एक गिरोह के पांच, ककरौली थाना पुलिस ने एक गिरोह के तीन, बुढ़ाना कोतवाली पुलिस ने नौ गिरोह के 26 बदमाशों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है।

बिजलीघर पर विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन

रतनपुरी : भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने बिजली की विभिन्न समस्या को लेकर रतनपुरी बिजलीघर पर धरना-प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता को धरने पर बैठा लिया। अधिकारियों ने समाधान करवाने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को भाकियू अराजनीतिक के जिला उपाध्यक्ष मोनू सोम के नेतृत्व में कार्यकर्ता रतनपुरी बिजलीघर एकत्रित हुए। यहां कार्यकर्ताओं ने बिजली समस्या और ऊर्जा निगम के दफ्तर में किसानों को बिजली संबंधित कार्य में आ रही अड़चनों को लेकर प्रदर्शन किया।

प्रतिमा स्थापना की होगी कवायद

खतौली : भारत रत्न किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का खतौली से लगाव रहा। उनके दो बार यहां कदम पड़े थे। सीताशरण इंटर कालेज में विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के साथ करीब 51 वर्ष पहले नगर पालिका के नवीन भवन का लोकार्पण उन्होंने किया था। उनकी प्रतिमा स्थापना करवाने की कवायद शुरू होगी। शीघ्र शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

पूर्व मंत्री समेत सभी 12 भाजपा नेताओं पर आरोप तय

- 2013 में हुई पंचायत में भड़काऊ भाषण देने का मामला
- इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 जनवरी की तिथि तय की

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : नंगला मंदौड़ की पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा समेत 12 भाजपा नेताओं पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। सफाई साक्ष्य के लिए कोर्ट ने 30 जनवरी की तिथि नियत की है। उधर, निजी परिवाद मामले में भी सभी आरोपित नेताओं पर आरोप तय किए गए हैं। इस मामले में भी सफाई साक्ष्य के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की गई है।

31 अगस्त 2013 को सिखेड़ा थानाक्षेत्र के गांव नंगला मंदौड़ के मैदान में पंचायत का आयोजन किया गया था।

पंचायत में नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे। पुलिस की तरफ से भड़काऊ भाषण देने के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंदु, पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन, मिंटू, योगेश, सचिन, रविन्द्र, बिट्टू सिखेडा, शिव कुमार, वीरेंद्र प्रमुख समेत 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

विवेचना के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। मुकदमे की सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार फौजदार की अदालत में चल रही है।

सुनवाई के दौरान वीरेंद्र प्रमुख की मौत हो चुकी है, जबकि आरोपित शिवकुमार की फाइल अलग कर दी गई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह व विक्रांत मलिक ने बताया कि शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सभी आरोपित पेश हुए। कोर्ट ने सभी पर आरोप तय कर दिए हैं।

निजी परिवाद में मंत्री कपिल देव व सांसद हरेंद्र मलिक पर आरोप तय

इसी मामले में तत्कालीन एडीएम की तरफ से 20 नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए निजी परिवाद में भी आरोप तय हो गए हैं। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया, शुक्रवार को निजी परिवाद मामले में उपरोक्त भाजपा नेताओं के अलावा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, पूर्व मंत्री अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल व पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार कोर्ट में पेश हुए। एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

पूर्व विधायक पर हमले के आरोपित की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक पर हमला, गाड़ी में तोड़फोड़ व काला तेल फेंकने वाले आरोपित की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी है। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया, 14 अगस्त 2021 को थाना भौराकलां क्षेत्र के सिसौली गांव में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक गए थे। इसी दौरान उन पर सिरौसी गांव के ही लोगों ने हमला कर दिया था। पथराव कर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी और काला तेल फेंक दिया था। हमले में उनके दो सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे, जबकि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका मुकदमा गांव के ही ओमिंद्र सिंह ने नौ लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था। पुलिस ने एक आरोपित मनोज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जेई पर हमले में भाकियू कार्यकर्ता समेत पांच पर केस

भाकियू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भी बिजलीघर पर दिया धरना, निष्पक्ष कार्रवाई के आश्वासन पर माने

संवाद सूत्र, जागरण, छपार: बिजोपुरा बिजलीघर पर अवर अभियंता पर जानलेवा हमले के मामले में भाकियू कार्यकर्ता समेत पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, भाकियू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को भी बिजलीघर पर धरना प्रदर्शन किया। बाद में अधिकारियों ने मामले में जांच कराने और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया।

क्षेत्र के गांव बिजोपुरा स्थित बिजलीघर पर गुरुवार को अवर अभियंता (जेई) शैलेंद्र सिंह पर भाकियू कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। जेई शैलेंद्र सिंह के दाहिने हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और चेहरे पर भी चोट आई हैं। आरोप है कि उनको डंडों से पीटा गया। पुलिस ने जिला अस्पताल भेजकर जेई का उपचार कराया। यहां से उसको मेरठ मेडिकल के अस्पताल भेज दिया गया है।

मामले में उपखंड अधिकारी साहब सिंह की तहरीर पर विनय प्रधान, भाकियू युवा मंडल सचिव दीपक कुमार, रजत पुत्र प्रमोद, आशु पुत्र बबलू, सोनू पुत्र दलवीर निवासीगण गांव बिजोपुरा के विरुद्ध जानलेवा हमला एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

धरने पर पहुंचे एसडीएम सदर निकिता शर्मा व सीओ राजू कुमार साव • जागरण

उधर, भाकियू सदर ब्लाक अध्यक्ष गुलशन चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को भी कार्यकर्ताओं ने बिजोपुरा बिजलीघर पर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम सदर निकिता शर्मा, सीओ सदर राजू कुमार साव व तहसीलदार राधेश्याम गौड धरनास्थल पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए और जेई को निलंबित किया जाए। किसान नेता मांगेराम त्यागी ने कहा कि विद्युत अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, किसानों के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है।

अगर मुकदमा समाप्त नहीं हुआ तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। सीओ सदर ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया, तब सायं साढ़े चार बजे धरना समाप्त किया गया।

इस दौरान हरिओम त्यागी, बिट्टू प्रधान, विनय प्रधान, प्रविंद्र चौधरी, संजय चौधरी, नादान सिंह, मास्टर पीतम सिंह, दीपक कुमार, रजत मौजूद रहे।

पुलिस लाइन में हुई दंगा नियंत्रण ड्रिल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : पुलिस ने शुक्रवार को पुलिस लाइन में दंगा ड्रिल का अभ्यास किया। ड्रिल के दौरान एंटी रायट इक्विपमैंटस का पुलिस ने इस्तेमाल किया।

शुक्रवार को डीआइजी एवं एसएसपी अभिषेक सिंह के आदेश पर पुलिस लाइन में दंगा ड्रिल अभ्यास किया गया। पहले एएसपी एवं सीओ सिटी व्योम बिंदल, एएसपी राजेश गुनावत व आरआइ उदल सिंह ने पुलिसकर्मियों को बताया कि भीड़ के आकस्मिक एकत्रित होने अथवा किसी घटना विशेष पर उत्पन्न हुए रोष से लोगों को नियंत्रित करने के लिए एंटी रायट इक्विपमैंटस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जब छोटी सी भी घटना बड़ा रूप ले सकती है, जिसके लिए तैयारियां बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में सभी ड्यूटी के दौरान दंगा निरोधी उपकरणों से लैस होकर रहेंगे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने दंगा ड्रिल का अभ्यास किया। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को एंटी रायट इक्विपमैंटस के बारे में जानकारी भी दी और खुद से बचाव के तरीके भी बताए।

एक नजर में

पुण्यतिथि मनाई

मोरना : तीर्थ नगरी शुकतीर्थ स्थित श्री दंडी आश्रम में दंडी स्वामी ब्रह्मलीन रामेश्वर आश्रम महाराज की 10वीं पुण्यतिथि श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान हवन यज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु-संतों व जरूरतमंद को सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए। समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रबंधक मनोहरलाल शर्मा ने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी रामेश्वर आश्रम महाराज हमारे प्रेरणास्रोत हैं।

44 लाख रुपये से होगा मंदिर का सुंदरीकरण

चरथावल : वंदन योजना के अन्तर्गत शासन से पास हुए 44 लाख से कस्बे में स्थित मन्दिर ठाकुरद्वारा का सुंदरीकरण किया जाएगा। शुक्रवार को नगर पंचायत अध्यक्ष इस्लामुद्दीन व ईओ नीलम पांडे द्वारा संयुक्त रूप से हाल के निर्माण की आधारशिला रखी गयी। इससे पूर्व विधि-विधान पूर्वक मन्दिर में हवन पूजन किया गया और मन्दिर समिति द्वारा अतिथियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।

महाकुंभ के लिए चिकित्सकों की टीम हुई रवाना

मुजफ्फरनगर : महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए मुजफ्फरनगर से भी चिकित्सकों की टीम रवाना की गई है। यहां से चिकित्सक और फार्मासिस्ट समेत कुल 20 स्वास्थ्य कर्मियों को रिलीव किया गया है। इनमें 14 मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय और छह जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। वहां उन्हें पहले एडीओ आफिस में रिपोर्ट करनी होगी, इसके बाद ही ड्यूटी लगाई जाएगी।

छात्रा को अगवा कर किया सामूहिक दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, खतौली : बाइक सवार युवकों ने 11वीं की छात्रा को अगवा कर कमरे में बंधक बना लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद जंगल में ले जाकर छात्रा की हत्या का प्रयास किया। किसी तरह से पीड़िता ने उनके चंगुल से छूटकर जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

खतौली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा कस्बे के एक कन्या इंटर कालेज में पढ़ती है। घटना एक जनवरी की है। पीड़िता अपने पिता के साथ बाइक से खतौली में स्कूल आ रही थी। तभी गांव के भीतर संपर्क मार्ग पर बाइक सवार गांव का ही युवक मानू व उसका दोस्त ललित निवासी गीतापुरी भूड़ आ गए। दोनों ने छात्रा के पिता को विश्वास में लेकर छात्रा को अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल तक छोड़ने का झांसा दिया। इसके बाद आरोपित छात्रा को अपने साथ ले आए।

आरोप है कि स्कूल छोड़ने के बजाय आरोपित छात्रा को गीतापुरी भूड़ पर अपने दोस्त के मकान पर ले गया। जहां दोनों ने छात्रा को बंधक बना लिया और दुष्कर्म किया। आरोपित छात्रा को पुनः बाइक पर बैठाकर जंगल की तरफ ले गए। यहां उसकी हत्या का प्रयास किया।

छात्रा के शोर मचाने पर राहगीर को मौके पर आता देख आरोपित फरार हो गए। इसके बाद किसी तरह वह घर पहुंची। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर दोनों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया है।

किशोरी के साथ दुष्कर्म

मीरापुरः एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है कि एक दिन पूर्व पड़ोसी युवक उसकी 15 वर्ष की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले गया और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि आरोपित ने उस जान से मारने की धमकी दी और गांव में ही छोड़कर भाग गया। इंस्पेक्टर बबलू कुमार वर्मा ने बताया कि पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सिर पर घातक प्रहार से हुई थी सन्नी की मौत

जागरण संवाददाता, खतौली: गांव पलड़ी के सन्नी की मौत से सिर पर घातक प्रहार किए जाने से हुई। पुलिस ने हत्याकांड में प्रधान सहित दो आरोपितों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। एक अन्य आरोपित को हिरासत में लिया गया है। शुक्रवार को पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए अनुसूचित वर्ग के नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। वहीं छह जनवरी को सांसद चंद्रशेखर आजाद के आने की संभावना है। गत मंगलवार यानी 31 दिसंबर को पलड़ी निवासी सन्नी की हत्या कर दी गई थी।

रामपुर तिराहा कांड में एक मुकदमे में बहस, दूसरे में नहीं हुई गवाही

दोनों मुकदमों में सुनवाई के लिए कोर्ट ने नौ जनवरी तय की

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : रामपुर तिराहा कांड से जुड़े दो मुकदमों में कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार बनाम ब्रजकिशोर मामले में अभियोजन की तरफ से कोर्ट में बहस की गई, जबकि सरकार बनाम एसपी मिश्रा मुकदमे में बचाव पक्ष के गवाह की गवाही नहीं हो सकी। कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तिथि नियत की है।

एक अक्टूबर 1994 की रात पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली जा रहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को पुलिस ने रामपुर तिराहे पर रोक लिया था। टकराव होने पर पुलिस की तरफ से आंदोलनकारियों पर फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें सात आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी और पुलिसकर्मियों पर आंदोलनकारी महिलाओं से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के आरोप भी लगे थे।

इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ की तरफ से सात मुकदमे दर्ज कराए गए थे। शुक्रवार को रामपुर तिराहा कांड से जुड़े सरकार बनाम ब्रजकिशोर व सरकार बनाम एसपी मिश्रा मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई है।

उत्तराखंड संघर्ष समिति के अधिवक्ता अनुराग वर्मा ने बताया, सरकार बनाम एसपी मिश्रा मामले में गवाह की गवाही नहीं हो सकी। वहीं सरकार बनाम ब्रजकिशोर मामले में अभियोजन ने बहस की।

सर्दी से बचाव को जलाई आग में झुलसने से मौत

संवाद सूत्र, जागरण, शाहपुरः गांव बसधाड़ा में घर में ठंड से बचाव के लिए आग ताप रहे 26 वर्षीय दिव्यांग की जलने से मौत हो गई।

शाहपुर के गांव बसधाड़ा निवासी राजवीर का 26 वर्षीय पुत्र कपिल शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग था। वह शुक्रवार को दोपहर लगभग 12 बजे अपने घर में चारपाई पर बैठा था। उसे ठंड से बचाने के लिए उसके स्वजन ने कपिल की चारपाई के पास तसले में आग जलाकर रखी थी। चारपाई में आग लगने से दिव्यांग बुरी तरह से झुलस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस समय आग लगी उस समय घर पर कोई नहीं था। घर से तेज धुआं निकलने पर पड़ोसियों ने शोर मचाया और आग बुझाने का प्रयास किया। जब तक आग पर काबू किया तब तक दिव्यांग कपिल की मौत हो चुकी थी।

वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म

संवाद सूत्र जागरण, रतनपुरीः क्षेत्र के गांव में ढाई साल किशोरी से एक युवक ने दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद आरोपित सऊदी अरब चला गया। वहां से वापस आने पर फिर से अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म किया। आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने बताया कि करीब ढाई साल पहले गांव में एक महिला से मिलने गई थी। घर पर महिला का देवर सनव्वर पुत्र अय्यूब मिला था। वह उसे जबरन उठाकर कमरे में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना लिया। किसी को भी बताने पर वीडियो प्रसारित की धमकी दी। बदनामी के डर से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद आरोपित सऊदी अरब चला गया। वह तीन महीने बाद वापस आया। गत 30 दिसंबर की शाम पांच बजे वह गोबर डालने जा रही थी। आरोपित अपने मकान के सामने गुजरते समय उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसे चार घंटे तक कमरे में बंद रखा। इंस्पेक्टर बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है।

दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

असम का रहने वाला परिवार करता है मंसूरपुर की फैक्टरी में मजदूरी, आरोपी भी असम का ही निवासी

संवाद न्यूज एजेंसी

मुजफ्फरनगर/मंसूरपुर। मंसूरपुर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्टरी के बाहर बने मजदूरों के आवास में छह साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी असम के रहने वाले मजदूर को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

असम निवासी दंपती मंसूरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी में डेढ़

बच्ची के नहीं मिलने पर माता-पिता ने आरोपी के कमरे का ताला तोड़ा

साल से मजदूरी कर रहा है और वहीं फैक्टरी के बने लेबर आवास में रहता है। बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे दंपती फैक्टरी में काम पर चले गए। शाम लगभग साढ़े पांच बजे लौटे तो उन्हें बेटी नीचे कमरे में रहने वाले असम के जिला नवागांव के थाना समागुड़ी के गांव कटलगुड़ी निवासी मानवीर उर्फ इमानविल के साथ खेलती मिली। यह देख वे अपने कमरे में चले गए।

दो-तीन घंटे बाद भी बच्ची घर नहीं पहुंची। दंपती ने नीचे देखा मानवीर के कमरे पर ताला लगा था। बच्ची के नहीं मिलने पर देर रात आरोपी के कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर उनकी बेटी का शव कंबल से ढका मिला।

मौके पर पहुंची पुलिस के तलाश करने पर शुक्रवार की सुबह बेगराजपुर औद्योगिक क्षेत्र में आरोपी पैदल जाता मिला। आरोपी ने पुलिस को देखकर तमंचे से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया।

सीओ खतौली राम आशीष यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या तथा मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया। >> आरोपी को चाचा कहती थी बच्ची... : पेज 2

आरोपी को चाचा कहती थी बच्ची, रिश्ता किया कलंकित

संवाद न्यूज एजेंसी

मंसूरपुर। माता-पिता के मजदूरी पर जाने के बाद छह वर्षीय बच्ची घर पर खेलती रहती थी। फैक्टरी के आवासों में रहने वाले सभी मजदूर बच्ची को बेहद प्यार करते थे। बच्ची आरोपी युवक को चाचा कहती थी। युवक ने चाचा कहने वाली मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर मासूम बच्ची का बनाया रिश्ता भी कलंकित कर दिया।

जिस आवास में मासूम बच्ची की हत्या हुई, वह आवास फैक्टरी

बच्ची की हत्या का आरोपी। संवाद

बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला, सभी मजदूर बच्ची को बेहद प्यार करते थे

मालिकों ने अपने मजदूरों को रहने के लिए बनाकर दिए हैं। इन आवास में एक दर्जन से अधिक अकेले मजदूर रहते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों के साथ दो ही परिवार रहते हैं। दिन हो रात, सभी लोग आते जाते बच्ची को दुलारते थे, जिस कारण बच्ची ने अंकल व चाचा कहकर उनके साथ एक रिश्ता बना लिया था। वह उनके साथ खेलती भी थी।

बृहस्पतिवार शाम को बच्ची के माता-पिता मजदूरी से लौटे तो उन्हें उनकी बेटी आरोपी मानवीर के साथ खेलती मिली। यह देखकर दंपती अपने आवास में चला गया था।

आरोपी युवक बच्ची को बहला-फुसला कर संभवतः टॉफी देने का लालच देकर अपने कमरे में ले गया और उसने घटना को अंजाम दिया। थाना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पीड़ित परिवार और आरोपी युवक इसाई धर्म का मानने वाला है। परिजनों ने शाम के समय शव का बेगराजपुर क्षेत्र में अंतिम संस्कार कर दिया।

सभी ने सोचा काम पर गया है

आसपास के लोगों ने बताया कि बच्ची के माता-पिता सुबह वाली शिफ्ट में मजदूरी पर गए थे। आरोपी युवक को रात वाली शिफ्ट में जाना था। घटना के बाद वह अपने आवास पर ताला लगाकर चला गया था। लोगों ने उसे अकेले जाते हुए भी देखा था और समझा था कि वह फैक्टरी जा रहा है। किसी को इस बात का अंदेशा तक नही कि आरोपी युवक इतनी बड़ी घटना कर सकता है।

शव का किया अंतिम संस्कार

थाना पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम कराने के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पीड़ित परिवार और आरोपी युवक इसाई धर्म का मानने वाला है। परिजनों ने शाम के समय शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

भाकियू (अराजनैतिक) के कार्यकर्ता एसडीओ ज्ञापन सौंपते हुए। स्रोतः स्वयं

भाकियू अराजनैतिक का बिजलीघर पर धरना

रतनपुरी। भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ बिजली की विभिन्न समस्याओं के लेकर बिजलीघर पर धरना दिया। एसडीओ संतोष कुमार ने किसानों की समस्याओं के जल्द निराकरण किए जाने के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। रतनपुरी क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने खतौली ब्लाक अध्यक्ष पवित अहलावत के नेतृत्व में धरना दिया।

किसानों ने बिजली के गलत बिल निकलना, बिजली के खराब मीटरों को बदलना, बिना रीडिंग के बिल निकलना, कम बिल होने पर भी कनेक्शन काटे जाना, अनावश्यक बिजली कटौती किए जाने तथा बिजली के सरचार्ज में सौ फीसदी छूट सहित बिजली से जुड़ी अनेक समस्याओं के मुद्दे उठाए गए। इस दौरान किसान संजय के खेत के बीच में लगे हाईटेंशन लाइन के ट्रांसफार्मर को तत्काल हटाए जाने की भी मांग की गई। धरने के दौरान ग्रामीणों ने समस्याओं के संबंध में ज्ञापन एसडीओ को सौंपा। किसानों के बीच पहुंचे एसडीओ ने समस्याओं का बहुत जल्द निस्तारण किए जाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। समाजसेवी मनोज राणा, हरिओम सोम, मोनू सोम, पवित अहलावत, बिजेंद्र सिंह, सत्यजीत सोम, उदय सिंह, संजय सोम, कुलदीप मौजूद रहे। संवाद

मांगों के समाधान के आश्वासन पर धरना समाप्त

संवाद न्यूज एजेंसी

छपार। बिजोपुरा बिजलीघर पर धरना दे रहे भाकियू कार्यकर्ताओं से एसडीएम सदर निकिता शर्मा व सीओ सदर राजू कुमार साव ने वार्ता की। मांगों का समाधान कराने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कर दिया गया।

गांव बिजोपुरा में विद्युत विभाग के जेई शैलेंद्र कुमार बृहस्पतिवार को गांव बिजोपुरा में बिजलीघर से गांव को हटाकर देहात की विद्युत लाइन से जोड़ रहे थे। ग्रामीणों को जब इसकी भनक लगी तो भाकियू कार्यकर्ता दीपक अपने साथियों के साथ बिजलीघर पर पहुंचे थे।

आरोप है कि उन्होंने जेई की पिटाई कर दी थी, जिस पर जेई ने दीपक सहित आधा दर्जन युवकों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी थी। यह पता चलते ही भाकियू कार्यकर्ता व ग्रामीण बृहस्पतिवार

बिजोपुरा बिजलीघर पर भाकियू कार्यकर्ता दे रहे थे धरना

शाम को ही बिजलीघर पर धरने पर बैठ गए थे।

शुक्रवार को एसडीएम सदर व सीओ सदर राजू कुमार साव ने धरने पर पहुंच कर कार्यकर्ताओं से वार्ता की। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि रिपोर्ट से धारा 307 हटाई जाए। जेई को भी बिजलीघर से हटाया जाए।

रिपोर्ट में सिर्फ दो युवकों का नाम रखा जाए। ग्रामीणों ने मांग की कि गन्ने का भुगतान होने पर बिजली बिलों का बकाया जमा करेंगे, तब तक किसी को परेशान न किया जाए। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कहा कि पूरा गांव बीजेपी को वोट करता है ओर जेई मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारों के साथ कनेक्शन काटता है।

एसडीएम ने सभी मांगों पर

एसडीएम सदर निकिता शर्मा को ज्ञापन सौंपते बिजोपुरा बिजलीघर पर धरना दे रहे भाकियू कार्यकर्ता। स्रोत : संगठन

सहमति जताई। इसके बाद धरना समाप्त किया गया। ग्रामीणों ने एक ज्ञापन एसडीएम सदर को दिया। मांगेराम त्यागी, विनय प्रधान, सतबीर सिंह, आजाद सिंह गुलशन कुमार, मोनू ठाकुर, अंकित राणा,सौदान सिंह, प्रदीप आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अलाव की आग में जिंदा जल गया दिव्यांग युवक

बसधाड़ा गांव में हादसा, चारपाई के पास रख रखी थी आग

संवाद न्यूज एजेंसी

शाहपुर। गांव बसधाड़ा में सर्दी से बचने के लिए तशले में जलाकर रखे गए अलाव की आग में दिव्यांग कपिल जाटव (26) जिंदा जल गया। कई घंटे बाद परिजन पहुंचे तो उन्हें युवक का जला हुआ शव मिला। सूचना पाकर ग्रामीण एकत्र हो गए। पुलिस ने भी पहुंच कर मामले की जानकारी ली।

क्षेत्र के गांव बसधाड़ा निवासी राजवीर जाटव का 26 वर्षीय बेटा शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग था। बोलने व सुनने में अक्षम था। उसका एक हाथ काम करता था। उसके पैरों में दिव्यांगता थी। राजवीर जाटव राज मिस्त्री है। वह सुबह के साथ अपने छोटे बेटे

बोलने और सुनने में अक्षम था युवक, चारपाई के पास रखा था अलाव का तशला

के साथ गांव दिनकरपुर में एक स्कूल में चिनाई का काम करने गया था। घर पर उसकी पत्नी व पुत्रवधू थी। पुत्रवधू की तबीयत खराब चल रही है। यह दोनों घर पर थी जबकि कपिल घेर में था। शुक्रवार सुबह के समय यह दोनों घेर में काम करने के बाद वापस घर आ गई थी। उन्होंने सदी से बचाव के लिए कपिल की चारपाई से कुछ दूर तशले में अलाव जलाकर रखा था।

युवक चारपाई पर बैठा था। इसी दौरान आग में जिंदा जलकर उसकी मौत हो गई। दोपहर के समय महिलाएं घेर में पहुंची तो उन्हें कमरे में धुआं निकलता मिला। देखने पर पाया कि कमरे में युवक जली हालत में पड़ा था। यह देखकर महिलाओं ने शोर मचाकर आसपास रहने वाले लोगों को सूचना दी। उधर, सूचना पाकर युवक का भाई व पिता भी पहुंच गए।

सूचना पाकर शाहपुर थाना पुलिस भी पहुंची। थाना पुलिस ने बताया कि परिजनों ने तशले में अलाव जलाकर रखा था। युवक ने अपने एक हाथ से दूर रखे तशले को संभवतः पास में खींचा और इस दौरान रजाई तशले पर गिर गई। इससे बिस्तर, कपड़े व चारपाई में आग लग गई। चूंकि युवक बोल नहीं सकता था। इसी के चलते वह आग में जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई।

मुकदमे दर्ज कर 98 की घेराबंदी

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के देहात सर्किल के चौदह थानों में पिछले एक पखवाड़े में गैंगस्टर एक्ट के 29 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें 98 आरोपियों को नामजद किया गया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है।

एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि देहात सर्किल पुलिस ने पिछले एक पखवाड़े में शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया था। अभियान में ऐसे अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई जो गिरोह बनाकर अपराध करते हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर जानसठ में पांच, मीरापुर एक, रामराज एक, भोपा एक, ककरौली एक, बुढ़ाना नौ, शाहपुर दो, रतनपुरी तीन, फुगाना एक, भौराकलां एक, तितावी में चार मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमों में 98 आरोपी बनाए गए हैं। बुढ़ाना पुलिस ने 26 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानसठ ने 17, रतनपुरी 13 व तितावी पुलिस ने 16 आरोपियों की मुकदमा दर्ज कर घेराबंदी की है। संवाद

धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप

आरोपी युवक के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा

संवाद न्यूज एजेंसी

रतनपुरी। क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए युवक ने दोबारा दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का आरोप लगाकर किशोरी ने आरोपी युवक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है।

थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि करीब ढाई वर्ष पूर्व वह अपनी पड़ोसन के घर गई थी। पड़ोसन अपने घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि उसका देवर घर पर ही मौजूद था। उसने उसे कमरे में

सीओ बुढ़ाना ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही

बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने वीडियो भी बना ली।

आरोप है कि आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी, जिस कारण उसने इस समय इसके विषय में किसी को कुछ नहीं बताया था। इसके कुछ समय बाद आरोपी सऊदी अरब चला गया। तीन माह पहले वह वापस आया, तो उसने फिर से वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए किशोरी को अपने घर बुलाया, लेकिन वह नहीं गई। सोमवार सुबह करीब पांच बजे वह गोबर डालने के लिए जा रही थी, तभी युवक ने उसे दबोच लिया।

जबरदस्ती उसे अपने घर के अंदर खींचकर ले गया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फिर से दुष्कर्म किया। उसने घर बताने के लिए कहा, तो आरोपी ने उसे करीब चार घंटे तक अपने घर में ही बंद रखा। बदनामी के डर से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शुक्रवार को पीड़िता ने थाने पहुंचकर घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी। सीओ बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है।

नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

संवाद न्यूज एजेंसी

खतौली। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर दो युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एक आरोपी युवक स्कूल छोड़ने के बहाने छात्रा को बाइक पर बैठा कर ले गया था।

गांव निवासी कक्षा 11 की छात्रा को उसका पिता विद्यालय छोड़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान एक युवक बाइक लेकर वहां पहुंच गया तथा छात्रा को स्कूल छोड़ने की बात कही, जिस पर छात्रा के पिता ने बेटी को युवक के साथ भेज दिया। युवक छात्रा को लेकर चला गया। आरोप है कि युवक ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर अपने एक साथी के साथ मिलकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने घर पहुंच कर परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी।

परिजन छात्रा को लेकर थाने पहुंचे तथा पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया है। पुलिस ने पीड़ित के पिता की ओर से आरोपी दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

जनपद- मुजफ्फरनगर   अमर उजाला   दिनांक 04.01.2025

पूर्व विधायक शाहनवाज की जमानत निरस्त

कूट रचित दस्तावेज से करीब 27 करोड़ रुपये की राजस्व हानि करने का है आरोप

अदालत से

अमर उजाला ब्यूरो

मुजफ्फरनगर। कूट रचित दस्तावेज से करीब 27 करोड़ रुपये की राजस्व हानि करने के आरोप में पूर्व विधायक शाहनवाज राना की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने सुनवाई की।

सहायक आयुक्त राज्य कर खंड आठ प्रदुम्मन चौधरी ने सिविल लाइन थाने में नौ दिसंबर को सर्व जंबूदीप एक्सपोर्ट कंपनी के डायरेक्टर पूर्व विधायक के बेटे शाह आजम राना के अलावा कामरान राना, जिया अब्बास जैदी और तौसिफ के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।

वादी का कहना था कि जंबूदीप एक्सपोर्ट एडं इंपोर्ट लिमिटेड मेरठ रोड के जीएसटी नंबर के विरुद्ध प्राप्त इनपुट के आधार पर कंपनी की जांच 2018-19 में राज्य कर विशेष अनुसंधान शाखा ने की थी। कंपनी की ओर से जो प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, उनमें फर्जी कागजात मिले। न्यू यूपी उत्तराचंल टीपीटी कंपनी रामपुर चुंगी रुड़की, अयान रोड लाइंस राना चौक, हरियाणा महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर कैथल हरियाणा, बरकत धर्मकांटा मेरठ रोड की बिल्टी फर्जी पेश की गई। इन संस्थानों का कोई अस्तित्व नहीं पाया गया था।

वेदांशु रोड कैरियर औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद की बिल्टी असत्यापित पाई गई। कंपनी पर 27 करोड़ दो लाख 47 हजार 588 रुपये बकाया था। जिसे कंपनी ने जमा नहीं कराया। कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों से आईटीसी क्लेम किया।

इस मामले में पूर्व विधायक को साजिश रचने का आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे निरस्त कर दिया गया है।

अभियोजन ने अदालत में यह रखा पक्ष

अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा कि अभियुक्त जंबूदीप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिमिटेड का निदेशक और फाउंडर सदस्य था। कंपनी को चार सितंबर 2002 को कानपुर में पंजीकरण कराया। 2002 से 2012 तक निदेशक और शेयर होल्डर रहा। कंपनी का लाभ एकाएक बढ़ गया था।

अदालत में पेश नहीं हुईं मिथलेश पाल

संवाद न्यूज एजेंसी

मुजफ्फरनगर। पांच साल पहले धनगर समाज के आंदोलन के दौरान शहर में जाम और धरने-प्रदर्शन के मामले में मीरापुर की रालोद विधायक मिथलेश पाल अदालत में पेश नहीं हुई। बचाव पक्ष की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया गया।

अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र जारी कराने की मांग के लिए धनगर समाज के लोग 25 फरवरी 2019 को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर एकत्र हुए थे।

धरने के बीच ही सरकुलर रोड होते हुए पहले प्रकाश चौक और फिर महावीर चौक पर जाम लगाया गया। कलक्ट्रेट में पहुंचकर प्रदर्शन किया। कई घंटे चले हंगामे में वर्तमान विधायक मिथलेश पाल, मांगेराम, अमरनाथ पाल, विनय पाल, पुष्पांकर पाल समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ।

पुलिस ने जांच कर आरोपपत्र दाखिल किया था। प्रकरण की सुनवाई विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। विधायक समेत 15 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं।

जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरनगर। भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक पर चार साल पहले हमला करने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के आरोपी मनोज की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 14 अगस्त 2021 को उमेश मालिक की कार पर पथराव किया गया था। पुलिस ने आरोपी मनोज की गिरफ्तार कर लिया था। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया है। संवाद

परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे कई संगठन से जुड़े पदाधिकारी

संवाद न्यूज एजेंसी

खतौली। गांव पलड़ी में मृतक सन्नी के परिजनों को सांत्वना देने के लिए कई संगठन से जुडे पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

पलड़ी निवासी सन्नी 31 दिसंबर को गांव के ही परिवार के साथी शीलू के साथ खतौली से बाइक से गांव जा रहा था। यह जब गांव याहियापुर तथा पलड़ी के बीच पहुंचे तो पीछे से आए कार सवारों ने बाइक में टक्कर मारकर इनको गिरा दिया था। कार के पीछे दो बाइकों पर आए युवकों ने कार सवारों के साथ मिलकर सन्नी की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी।

पुलिस ने मृतक की मां सरिता की ओर से ग्राम प्रधान रमेश पाल 11 हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने ग्राम प्रधान रमेश पाल को गिरफ्तार कर उसका गुरुवार को चालान कर दिया था।

पलड़ी में ग्रामीणों से बात करते आसपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार व अन्य। संवाद

सोमवार को गांव पहुंचेंगे चंद्रशेखर

आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को गांव पलड़ी पहुंचेंगे। वह मृतक के परिजनों से मिलेंगे। गांव में पहुंचने का उनका कार्यक्रम तय हो गया है। मंगलवार को एसएसपी से मिलकर घटना में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी।

घटना में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रजत निठारिया, भीम आर्मी भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार, बहुजन समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम राज गांव पहुंचे। मृतक परिजनों को सांत्वना दी। सभी ने मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया।

पीडित पक्ष पर मुकदमा दर्ज करने से रोष

खतौली। गांव पलड़ी निवासी अनुसूचित जाति के पीडित पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोष व्याप्त है। पुलिस ने छह नामजद तथा 100-150 अज्ञात महिला व पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। गांव पलड़ी में मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को पीड़ित पक्ष ने बताया कि पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जबकि उनके समाज के युवक की हत्या की गई थी तथा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से बात करने का आश्वासन देकर ग्रामीणों की मदद करने को कहा है। चौकी के दरोगा कर्णवीर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें पथराव दिखाकर पुलिस कर्मियों को घायल करने की बात कही गई है। पीड़ित पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से उनमें पुलिस के प्रति आक्रोश है। संवाद

बस चालक के खिलाफ हादसे की रिपोर्ट दर्ज

खतौली। गांव पाल निवासी वृद्ध धर्मवीर बृहस्पतिवार को मोपेड से सराय रसूलपुर जा रहे थे। जब वह गंगनहर पटरी पर नहर पुल पर पहुंचे तो सिखेड़ा पुल की ओर से खतौली जा रहे बस चालक ने मोपेड में टक्कर मार दी थी। हादसे में वृद्ध घायल हो गए थे। हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में वृद्ध की मौत हो गई थी। चालक बस छोड़ कर फरार हो गया था। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। संवाद

मजदूरी के रुपये मांगने पर मारपीट करने का आरोप

मीरापुर। क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी प्रियंत ने थाने में दी तहरीर में बताया कि वह गांव निवासी इस्लाम के यहां खेतों पर मजदूरी का कार्य करता है। उसकी मजदूरी के साढ़े सात हजार रुपये इस्लाम पर बाकी थे। आरोप है कि बृहस्पतिवार की शाम उसने अपने मजदूरी के रुपये मांगे तो उसने साथियों के साथ मिलकर उसे जातिसूचक शब्द कहते हुए मारपीट की। पुलिस ने जांच के बाद करवाई का आश्वासन दिया है। संवाद

धोखाधड़ी का लगाया आरोप

भोपा। बेहड़ा थ्रू निवासी ग्रामीण ने कपड़े के कारखाने के संचालकों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित गुलफाम ने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी दो व्यक्तियों ने क्षेत्र में ही ट्रैक सूट, जैकेट आदि बनाने का कारखाना लगा रखा था। उसने कारखाना संचालकों को ट्रैक सूट का कपड़ा खरीदने के नाम पर एक लाख रुपए दिए थे। उन्होंने अपना कारखाना बंद कर दिया है। जब वह पैसे लेने के लिए उनके घर पहुंचा तो उसके साथ गाली-गलौज करते हुए देख लेने की धमकी दी। पीड़ित ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की। संवाद

किसान ने जताया जान का खतरा

भोपा। सिखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव भंडूरा निवासी किसान अरविंद ने थाने पर प्रार्थनापत्र देते हुए बताया कि वह बृहस्पतिवार की देर रात मोरना चीनी मिल में गन्ना डाल कर वापस लौट रहा था। भोपा से आगे पहुंचा तो पीछे से एक कार में सवार संदिग्ध तीन-चार लोगों ने कार को ट्रैक्टर-ट्राली के सामने खड़ा कर उसे रोकने का प्रयास किया। उसी समय दोनों ओर से वाहनों के आ जाने के कारण कार को हटाया। इसके बाद भी उसका पीछा किया। किसी तरह वह अपना ट्रैक्टर-ट्राली लेकर घर पहुंचा। किसान ने जान को खतरा जताया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। संवाद

किशोरी के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज

मीरापुर। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि एक दिन पहले गांव निवासी युवक उनकी 15 वर्ष की पुत्री को बहला-फुसलाकर गांव से ले गया था और डरा धमकाकर युवक ने उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और उसे गांव में ही छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। थाना पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी युवक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। संवाद

तीन बाइक और तमंचे के साथ युवक दबोचा

बुढ़ाना। पुलिस ने बृहस्पतिवार की रात बुढ़ाना-कांधला मार्ग पर आम के बाग में बाइक चोरी के आरोपी मोनू पंवार निवासी एलम, शामली को गिरफ्तार किया है। चोरी की तीन बाइक और तमंचा बरामद किया। संवाद

मिलावटी शराब बनाने के तीन दोषियों को सजा

अदालत से

मुजफ्फरनगर। छपार थाना क्षेत्र के दतियाना गांव में मिलावटी शराब बनाने के तीन दोषियों को छह-छह साल की सजा सुनाई गई। एफटीसी तृतीय कमलापति ने फैसला सुनाया। करीब 10 साल पहले एसआई संतोष गौतम ने दतियाना के जंगल में मिलावटी शराब बनाने का मामला पकड़ा था। मौके पर ऑल्टो कार, 30 पेटी शराब और यूरिया बरामद हुआ था। पुलिस ने गांव के ही आरोपी सोनू, अर्जुन और दीपक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने तीनों पर दोष सिद्ध किया। दोषियों को छह-छह साल का कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। संवाद

सड़क हादसे में बाइक सवार घायल

खतौली। गांव सठेड़ी निवासी दिलशाद शुक्रवार देर शाम बाइक से गांव लौट रहा था। बुढ़ाना रोड पर काजी कालोनी के सामने पहुंचा तो पीछे से तेज गति से आ रहे कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दिलशाद घायल हो गया। राहगीरों ने एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी में भर्ती कराया। संवाद

गोमांस बरामद, दो महिलाओं सहित तीन गिरफ्तार

बुढ़ाना। मकान पर छापे के दौरान पुलिस ने दो महिलाओं सहित गोकशी के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पुलिस से बचकर भाग गया। पुलिस ने मौके से गोमांस व गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कस्बे की नई बस्ती में सलीम के मकान पर छापेमारी की। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भाग गया। पुलिस ने मौके से शाहरुख की पत्नी रूखसार, भाभी साईस्ता तथा साजिद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 16 किलो गोमांस व गोकशी के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने बताया कि साजिद बागपत जनपद के दोघट थाना क्षेत्र के गांव फ्रांसगढ़ का रहने वाला है। मौके से शाहरुख फरार हो गया। आरोपियों का पुलिस ने चालान कर दिया। पुलिस की सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सक ने मांस का नमूना लेकर परीक्षण के लिए भेज दिया। संवाद

ड्यूटी कटने से नाराज पीआरडी जवानों का प्रदर्शन

मुजफ्फरनगर। जिला युवा कल्याण विभाग की व्यवस्था से नाराज कुछ पीआरडी जवानों ने विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए है। ड्यूटी कटने पर कुछ पीआरडी जवान डीएम आफिस पहुंचे और विभिन्न बिंदुओं पर शिकायत की। महिला पीआरडी जवानों ने कहा कि काफी महिलाओं की ड्यूटी नहीं लग रही। पूर्व में जो ज्ञापन दिया गया था। उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। शुक्रवार को कुछ पीआरडी जवान डीएम आफिस पर पहुंचे। संवाद